रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-14012023-241976
CG-GJ-E-14012023-241976

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 2023/पौष 23, 1944
No. 26] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 2023/PAUSHA 23, 1944

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 12 जनवरी, 2023

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा अभिलेखों का अनुरक्षण और अन्वेषण और निरीक्षण के लिए आवश्यक जानकारी की प्रस्तुति) विनियम, 2022

आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी031.— अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 और 13 के साथ पठित धारा 28 और बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 33 की उप-धारा (7) और धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 114क की उप-धारा (2) के खंड (छक), (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण निम्नलिखित नियम बनाता है: -

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -**

(1) इन नियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा अभिलेखों का अनुरक्षण और अन्वेषण और निरीक्षण के लिए आवश्यक जानकारी की प्रस्तुति) विनियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

(3) जब तक यहां अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा, ये विनियम प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षण और निरीक्षण के उद्देश्य से सभी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालयों (आईआईओ) और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा मध्यस्थ कार्यालयों (आईआईआईओ) पर लागू होंगे।

2. उद्देश्य:

इन विनियमों का उद्देश्य बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 33 के अधीन अनुरक्षण और निरीक्षण के प्रयोजनार्थ आईआईओ और आईआईआईओ द्वारा आवश्यक न्यूनतम जानकारी अनुरक्षित करने के लिए निर्दिष्ट करना है।

3. **परिभाषाएं -**

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) **'अधिनियम'** का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50);

(ख) **'प्राधिकरण' या 'आईएफएससीए'** का अर्थ है अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण;

(ग) **'बोर्ड'** का अर्थ है आईआईओ या आईआईआईओ के निदेशक मंडल, या आईआईओ या आईआईआईओ, जैसा भी मामला हो, की मूल एंटिटी का बोर्ड, यदि आईआईओ या आईआईआईओ अनिगमित है;

(घ) **"इलेक्ट्रॉनिक रूप"** का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा **2** की उप-धारा 1 के खंड (आर) के अधीन दिया गया है;

(ड़) **'अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय' या 'आईआईओ'** का अर्थ वही होगा जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा व्यवसाय का पंजीकरण) विनियम, 2021 के विनियम 3 के उप-विनियम **(**1) के खंड (ट) के अधीन इसे दिया गया है;

(च) **"अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा मध्यस्थ कार्यालय" या 'आईआईआईओ'** का अर्थ वही होगा जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा मध्यवर्ती) विनियम, 2021 के विनियम 3 के उप-विनियम **(**1) के खंड (ध) के अधीन इसे दिया गया है;

(छ) **"अनुरक्षण अधिकारी"** का अर्थ है बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 33 के अधीन किसी भी आईआईओ या आईआईआईओ, जैसा भी मामला हो, के मामलों के अनुरक्षण या निरीक्षण करने के लिए प्राधिकरण द्वारा निदेशित किया गया व्यक्ति।

(ज) **"न्यूनतम सूचना"** का अर्थ है ऐसी सूचना जिसे इन विनियमों द्वारा निर्दिष्ट बीमाकर्ताओं या मध्यस्थों या बीमा मध्यस्थों द्वारा अनुरक्षित किया जाना आवश्यक है;

(झ) **"अभिलेख"** में भौतिक रूप में और इलेक्ट्रॉनिक रूप दोनों में अनुरक्षित दस्तावेज़ या कोई अन्य सूचना शामिल है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो अधिनियम की पहली अनुसूची में वर्णित अधिनियम या अधिनियमों या इनके अधीन बनाए गए किसी नियमों, विनियमों या अधिसूचनाओं में परिभाषित हैं, के अर्थ क्रमश: वही होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों या किसी सांविधिक संशोधन या पुन:अधिनियमन, जैसा भी मामला हो, में उनके लिए नियत किए गए हैं।

4. **पॉलिसी और दावों के अभिलेख का अनुरक्षण**:

(1) प्रत्येक आईआईओ के पास अभिलेखों के अनुरक्षण पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे -

(क) अभिलेखों का प्रसंस्करण और इलेक्ट्रॉनिक अनुरक्षण,

(ख) पॉलिसीधारक या सिडेंट की गोपनीयता और सुरक्षा, जैसा भी मामला हो और दावा डेटा,

(ग) साइबर सुरक्षा नीति और डेटा संरक्षण,

(घ) हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सुरक्षा,

(ड़) बैकअप, आपदा वसूली और व्यापार निरंतरता,

(च) डेटा अभिलेखागार; और

(छ) बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा पर्यवेक्षित किए जाने वाले अभिलेखों के अनुरक्षण और भंडारण के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए विस्तृत योजना।

बशर्ते कि प्रत्येक आईआईओ, पुनर्बीमा व्यवसाय करने वाले आईआईओ को छोड़कर अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति में भी बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड (क) और (ख) के अधीन यथा-निर्दिष्ट प्रत्येक पॉलिसी और दावे के पूर्ण और सटीक अभिलेखों के अनुरक्षण के रूप और तरीके से संबंधित उपबंध शामिल करेगा।

बशर्ते यह भी कि आईआईओ, अनिगमित रूप में, अपनी मूल एंटिटी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति अपना सकते हैं, यदि उप-विनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट मानकों को इसके अधीन कवर किया गया हो।

(2) प्रत्येक आईआईओ ऐसे अभिलेखों का अनुरक्षण आवश्यक सुरक्षा विशेषताओं के साथ इलेक्ट्रॉनिक रिट्रीवल रूप में करेगा।

(3) प्रत्येक आईआईओ यह सुनिश्चित करेगा कि जारी की गई सभी पॉलिसियों, किए गए सभी दावों और पुनर्बीमा व्यवसाय से संबंधित अभिलेख सहित इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखे गए अभिलेख केवल भारत में स्थित डेटा केंद्रों (आईएफएससी सहित) में रखे जाएं।

(4) प्रत्येक आईआईओ यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित सभी नीतियों की वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 90 दिनों के भीतर वर्ष में एक बार समीक्षा की जाए।

5. प्रत्येक आईआईओ और आईआईआईओ बीमा अधिनियम, 1938 के विद्यमान उपबंधों, किसी भी अन्य लागू होने योग्य कानून या उसके अधीन जारी किए गए नियम, विनियम, दिशानिदेश, परिपत्र या निदेशों के अधीन अनुरक्षित किए जाने के लिए आवश्यक सभी अभिलेख, सूचना, डेटा, दस्तावेज, बहियों या रजिस्टरों का अनुरक्षण करेंगे और प्रस्तुत करेंगे।

6. प्रत्येक आईआईओ अपने स्टाफ या याचना में विहित वेतनभोगी फील्ड कर्मियों को छोड़कर अपने कर्मचारियों का अभिलेख रखेगा, जिसमें (i) नाम; (ii) कर्मचारी पहचान संख्या; (iii) नियुक्ति की तारीख; (iv) वर्तमान पदनाम; (v) पैन नंबर; (vi) वर्तमान वेतन; भत्तों; (vii) भत्ते; कतिपय अन्य लाभ; (viii) नियुक्ति पत्र और समाप्ति की तारीख, यदि कोई हो, के संदर्भ में कर और संबंधित दस्तावेज और (ix) यात्रा व्यय के लिए किसी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को किए गए किसी भी भुगतान के संबंध में, यात्रा का पूरा विवरण, यात्रा का उद्देश्य, भुगतान किए गए किराए और दिए गए भत्ते का विवरण दर्शाते हुए अभिलेख शामिल हैं।

7. प्रत्येक आईआईआईओ सभी पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों का विवरण बनाए रखेगा, जिसमें (i) कर्मचारियों के नाम, (ii) कर्मचारी पहचान संख्या, (iii) नियुक्ति की तिथि, (iv) समाप्ति की तिथि, यदि कोई हो, (v) पदनाम शामिल हैं , (vi) योग्यता; (vii) लाइसेंस/पंजीकरण संख्या, (viii) लाइसेंस/पंजीकरण वैधता अवधि, (ix) प्रशिक्षण पूरा होने के

प्रमाण पत्र की तिथि, (x) परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि, (xi) अनुरोध के लिए योग्य कर्मचारियों के मामले में नवीनीकरण प्रशिक्षण की तारीखें बीमा व्यवसाय का, (xii) उस शाखा या कार्यालय का नाम जहां तैनात किया गया था, शामिल होंगे ।

8. इन नियमों में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहां आईआईओ या आईआईआईओ द्वारा सेवाओं को आउटसोर्स किया जाता है, सेवा प्रदाता सहित आईआईओ और आईआईआईओ, जैसा भी मामला हो, के अनुबंधक, प्रत्येक प्रबंधक, प्रबंध निदेशक या अन्य अधिकारी, बीमाकर्ता या मध्यस्थ या बीमा मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, के मामलों से संबंधित कोई विवरण और जानकारी, सभी खाता बहियां, रजिस्टर, अन्य दस्तावेज और उसके स्वामित्व या शक्ति में उपलब्ध डेटाबेस जिसमें अनुरक्षण और निरीक्षण भी शामिल है, मांगे जाने पर, निर्धारित समय के भीतर अन्वेषण अधिकारी सहित प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

9. **जांच और अन्य सत्यापन**: आईआईओ और आईआईआईओ द्वारा अनुरक्षित जानकारी, डेटा और दस्तावेजों का लेखापरीक्षित वित्तीयों के साथ, जहां भी प्रासंगिक हो, और अन्य लागू कानूनों और विनियमों के अधीन निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार मिलान किया जाएगा। अभिलेख या तो भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाए रखा जा सकता है और प्राधिकरण द्वारा अधिकृत कार्मिकों को इन्हें सुलभ कराया जाएगा।

10. प्रत्येक आईआईओ और आईआईआईओ बीमा नियम, 1939 के नियम 39 के खंड (8) के अधीन यथा-निर्धारित या अन्य प्रयोज्य कानूनी अपेक्षाओं, जो भी बाद में हो, के अनुसार, सात वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा:

बशर्ते कि ऐसी अवधि की गणना निम्नांकित तारीख से की जा रही हो -

क. संबंधित अभिलेख पर अंतिम लेन-देन की तारीख या पॉलिसी की समाप्ति की तारीख, जो भी बाद में हो;

ख. जिस तारीख को दावे का समाधान होता है।

11. **प्रक्रियाओं आदि को निर्दिष्ट करने की शक्ति:** कार्यान्वियन के प्रयोजनार्थ, आईआईओ और आईआईआईओ द्वारा इन विनियमों को सुकर बनाने और प्रासंगिक मामलों के लिए, प्राधिकरण आईआईओ और आईआईआईओ द्वारा अनुपालन के लिए मानदंड, प्रक्रियाएं, विधियां और तरीके निर्दिष्ट कर सकता है।

12. कठिनाइयों को दूर करने और विनियमों के कठोर प्रवर्तन में ढील देने की शक्ति:

(1) प्राधिकरण इन विनियमों के उपबंधों को लागू करने या उनकी व्याख्या करने में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, मार्गदर्शन टिप्पणी या परिपत्रों के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

(2) प्राधिकरण, निर्दिष्ट अप्रतिदेय संसाधन शुल्क के साथ प्राप्त आवेदन पर, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ, इन विनियमों के किसी भी उपबंध के कठोर प्रवर्तन में ढील दे सकता है।

13. **निरसन और व्यावृत्तियां:**

(1) इन विनियमों के प्रारंभ से ही, निम्नलिखित विनियम और दिशानिदेश अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में लागू नहीं होंगे-

(क) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिलेखों का अनुरक्षण) विनियम, 2015; और

(ख) भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (अनुरक्षण और निरीक्षण के लिए आवश्यक न्यूनतम जानकारी) विनियम, 2020

(2) इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले आईएफएससी में कार्यरत आईआईओ और आईआईआईओ, इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर या प्राधिकरण द्वारा यथा-अनुमेय इस तरह के विस्तारित समय के भीतर इन विनियमों में निर्धारित अतिरिक्त अपेक्षाओं का पालन करेंगे।

इंजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./555/2022-23]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

GANDHINAGAR, the 12th January, 2023

International Financial Services Centres Authority (Maintenance of Insurance Records and Submission of Requisite Information for Investigation and Inspection) Regulations, 2022

IFSCA/2022-23/GN/REG031.—In exercise of the powers conferred by Section 28 read with Sections 12 and 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, and clause (ga), (j) of sub-section (2) of section 114A read with clause (c) of sub-section (1) of section 14 and sub-section (7) of section 33 of the Insurance Act, 1938, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations namely:-

1. **Short title, commencement and applicability –**

(1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Maintenance of Insurance Records and Submission of Requisite Information for Investigation and Inspection) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

(3) Unless otherwise specified herein, these regulations are applicable to all International Financial Services Centres Insurance Offices (IIOs) and International Financial Service Centre Insurance Intermediary Offices (IIIOs).

2. **Objective**:

The objective of these regulations is to specify minimum information that is required to be maintained by an IIO and IIIO, for the purposes of investigation and inspection, under section 33 of the Insurance Act, 1938.

3. **Definitions -**

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires –

(a) '**Act**' means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);

(b) '**Authority'** or **'IFSCA'** means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of Section 4 of the Act;

(c) **'board'** means the board of directors of an IIO or IIIO, or the Board of the Parent Entity of an IIO or IIIO, as the case may be, in case the IIO or IIIO is in unincorporated form;

(d) **"electronic form"** shall have the same meaning as assigned to it under clause (r) of sub-section 1 of section 2 of the Information Technology Act, 2000;

(e) "**International Financial Service Centre Insurance Office**" or **'IIO'** shall have the meaning as assigned to it under clause (k) of sub-regulation (1) of regulation 3 of the International Financial Services Centres Authority (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021;

(f) "**International Financial Service Centre Insurance Intermediary Office"** or **'IIIO'** shall have the meaning as assigned to it under clause (s) of sub-regulation (1) of regulation 3 of the International Financial Services Centres Authority (Insurance Intermediary) Regulations, 2021;

(g) **"investigating officer"** means any person directed by the Authority under section 33 of the Insurance Act, 1938, to investigate or inspect the affairs of any IIOs or IIIOs, as the case may be;

(h) **"minimum information"** means the minimum information which is required to be maintained by the IIOs or IIIOs, in such form and manner as specified under these regulations;

(i) **"record"** includes documents or any information reduced in writing and maintained in physical form, electronic form or in both.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act or any rules, regulations or notifications made thereunder, shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

4. **Maintenance of Policy and Claims records:**

(1) Every IIO shall have a Board approved policy for maintenance of records, which shall, *inter- alia*, include the following -

(a) processing and electronic maintenance of records;

(b) privacy and security of policyholder or cedant, as the case may be, and claim data;

(c) cybersecurity policy and data protection;

(d) security of hardware and software;

(e) backups, disaster recovery and business continuity;

(f) data archival; and

(g) detailed plan to review the implementation of the maintenance and storage of records to be overseen by the Risk Management Committee of the Board.

Provided that every IIO, except IIOs transacting re-insurance business, in its Board approved policy, shall also include a provision for maintenance of complete and accurate records of every policy and claim, in such form and manner as specified under clause (a) and (b) of sub-section (1) of section 14 of the Insurance Act, 1938.

Provided further that IIOs, in an unincorporated form, may adopt Board approved policy of its parent entity, if the standards specified under sub-regulation (1) are covered thereunder.

(2) Every IIO shall maintain all its records in electronic retrieval form with necessary security features.

(3) Every IIO shall ensure that complete record related to the policies issued, claims made, and records related to re-insurance business are held in data centres located and maintained in India (including IFSC) only.

(4) Every IIO shall ensure that all Board approved policies are reviewed once in a year within 90 days from the expiry of the financial year.

5. Every IIO and IIIO shall submit to the Authority, as and when demanded, all records, information, data, documents, books and registers maintained under the Insurance Act, 1938, any other applicable law or the rules, regulations, guidelines, circulars or directions issued thereunder;

6. Every IIO shall maintain a record of its employees excluding staff or salaried field workers involved in solicitation, comprising of the (i) name; (ii) employee identification number; (iii) date of appointment; (iv) present designation; (v) PAN number; (vi) present salary; perks; (vii) allowances; any other benefits; (viii) taxes and related papers with cross-reference to appointment letter and date of termination, if any, and, (ix)in respect of any payment made to an employee or other person on account of travelling expenses, record showing full details of the journey performed, purpose of the journey, details of the fares paid and allowances granted.

7. Every IIIO shall maintain details of all past and present employees including (i) the names of the employees, (ii) employee identification number, (iii) date of appointment, (iv) date of termination if any, (v) designation, (vi) qualification; (vii) license/Registration number, (viii) license/registration validity period, (ix) date of certificate of training completion, (x) date of passing the test, (xi) dates of renewal training in case of employees qualified for solicitation of insurance business, and, (xii) name of the branch or office where posted.

8. Notwithstanding anything contained in these regulations, every manager, managing director or other officer including a service provider, contractor of an IIO and IIIO where services are outsourced by an IIO or IIIO, as the case may be, shall produce all such books of account, registers, other documents and the database in his custody or power and any statement and information relating to the affairs of the IIO or IIIO, as the case may be, to the Authority as and when demanded, including to an Investigation Officer for investigation and inspection, within the stipulated time.

9. **Checks and other verifications:** The information, data and documents maintained by the IIO and IIIO shall be reconciled with the audited financials, wherever relevant, and as per the requirements specified under other applicable laws and regulations. The records may be maintained either in physical form or electronic form and access shall be given to the personnel authorised by the Authority.

10. Every IIO and IIIO shall maintain the records for a minimum period of seven years, as prescribed under clause (8) of rule 39 of the Insurance Rules, 1939 or as per other applicable legal requirements, whichever is later:

Provided that such period being counted from the date -

a. of last transaction on the respective records or from the date of expiry of the policy whichever is later;

b. on which the claim is settled.

11. **Power to specify procedures etc.:** For the purpose of implementation, facilitation of these regulations by IIOs and IIIOs and matters incidental thereto, the Authority may specify norms, procedures, processes and manners for compliance by IIOs and IIIOs.

12. **Power to remove difficulties and relax strict enforcement of the regulations:**

(1) In order to remove any difficulty in the application or interpretations of the provisions of these regulations, the Authority may issue clarifications through guidance notes or circulars.

(2) On an application, received along with the specified non-refundable processing fees, the Authority, may for the reasons to be recorded in writing, relax the strict enforcement of any of the provisions of these regulations.

13. **Repeals and saving:**

(1) On and from the commencement of these regulations, following regulations and guidelines shall cease to apply in the International Financial Services Centre –

(a) the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Maintenance of Insurance Records) Regulations, 2015; and

(b) the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Minimum Information Required for Investigation and Inspection) Regulations, 2020.

(2) An IIO and IIIO operating in the IFSC prior to the commencement of these regulations, shall comply with additional requirements as stipulated in these regulations, within a period of six months from the date of commencement of these regulations or within such extended time as may be permitted by the Authority.

INJETI SRINIVAS, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./555/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2023.01.14 17:24:04 +05'30'